उत्तर प्रदेश अग्निशमन सेवा मुख्यालय

चतुर्थ/पंचम तल, इन्दिरा भवन, अशोक मार्ग, लखनऊ-226 001

संख्याः एफएस- 1076/2014 (96) दिनांकः मई 12, 2014

सेवा में,

श्री चन्दन अग्रवाल,
अध्यक्ष,
जी0डी0 गोयनका पब्लिक स्कूल,
मैनावती मार्ग,
कानपुर ।

विषयः **प्लाट/खसरा न0- 1504,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14, व 15 एन0आर0आई0सिटी मैनावती मार्ग कानपुर नगर जिला कानपुर नगर में निर्मित मेसर्स जी0डी0गोयनका पब्लिक स्कूल मैनावती मार्ग कानपुर नगर में भवन की अन्तिम अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया आपके पत्र के माध्यम से उक्त प्रश्नगत निर्मित भवन की अन्तिम अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

उक्त प्रश्नगत भवन में प्रस्तावित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं का भौतिक निरीक्षण अग्निशमन अधिकारी, कर्नलगंज, कानपुर, मुख्य अग्निशमन अधिकारी, कानपुर एवं उप निदेशक, अग्निशमन, कानपुर परिक्षेत्र द्वारा किया गया। अग्निशमन अधिकारी, कर्नलगंज, कानपुर, मुख्य अग्निशमन अधिकारी, कानपुर एवं उप निदेशक, अग्निशमन, कानपुर परिक्षेत्र की आख्या दिनांक 29.04.2014 के अनुसार-

भवन की संरचनाः- मुख्य अग्निशमन अधिकारी कानपुर के पत्र संख्या-सीएफओ/अ0प्र0पत्र/भव/2011(18) दिनांक 20-10-2011 के अनापत्ति प्रमाण पत्र के अनुसार निम्नवत हैः-

1-कुल भूखण्ड एरिया- **12694.70** वर्ग मी0।

2-निर्मित भूतल कवर्ड एरिया- **2689.80** वर्ग मी0।

3-प्रथम तल से ऊपरी तलों का टिपिकल कवर्ड एरिया- **5357.04** वर्ग मी0 (प्रत्येक तल वार विवरण)

प्रथम तल का कवर्ड एरिया - **2678.52** वर्ग मी0

द्वितीय तल का कवड एरिया- **2678.52** वर्ग मी0

4-बेसमेन्ट प्रथम का कवर्ड एरिया-**शून्य** वर्ग मी0।

5-बेसमेन्ट द्वितीय का कवर्ड एरिया- **शून्य** वर्ग मी0।

6-बेसमेन्ट तृतीय का कवर्ड एरिया- **शून्य** वर्ग मी0।

7-भवन की ऊँचाई-**10** मीटर है।

भवन की प्रोवीजनल अनापत्ति प्रमाण-पत्र में प्रस्तावित भवन की ऊँचाई 14.64 मी0 दर्शायी गयी है क्यों कि मानचित्र में भवन तृतीय तल तक प्रस्तावित था परन्तु भवन का निर्माण द्वितीय तल तक ही किया गया है जिसकी ऊँचाई-**10** मीटर है।

भवन का अधिभोग एवं हैजार्ड श्रेणी- प्रश्नगत भवन का अधिभोग एन0बी0सी0 की एजुकेशनल बिल्डिंग **(बी)-1-2** श्रेणी के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है ।

ढांचागत व्यवस्थाएं:-

1-पहुँच मार्ग- भवन के सामने **12** मी0 रोड चौड़ा है।

2- **प्रवेश द्वार की चौड़ाई** - **05** मी0 जो मानक के अनुसार है।

3-सैटबेक- निम्नवत है :-

अग्रभाग- **6.00** मी0 ।

पृष्ठ भाग- **12.00** मी0।

पार्श्व भाग-प्रथम- **9.00** मी0।

पार्श्व भाग द्वितीय- **6.00** मी0।

उपरोक्तानुसार भवन के सैटबेक भवन विनियमावली के अनुसार है। सेट बैक सदैव अवराधमुक्त रखे जायेगें। सेट बैक में किसी प्रकार का स्थाई/अस्थाई निर्माण कार्य मान्य नहीं होगा।

4-निकास मार्गः- भवन में **03** स्टेयर केस जिनकी चौड़ाई **2** मी0, **1.5** मी0 व **1.25** मी0 का प्राविधान किया गया है जिनकी फ्लोर के समस्त स्थानो से ट्रेवल डिस्टेन्स अधिकतम अनुमन्य सीमा के अन्तर्गत है।

5-रिफ्यूज एरियाः- प्रश्नगत भवन में रिफ्यूज एरिया एन0बी0सी0 मानक के अनुरूप उपलब्ध पाया गया।

अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था- निर्मित भवन में नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया-2005 के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार स्थापित पाई गई।

1-होजरीलः- प्रश्नगत भवन में प्रत्येक तल पर होजरील का प्राविधान एन0बी0सी0 2005 के मानक के अनुरूप स्थापित है एवं कार्यशील दशा में है।

2-टेरिस टैंक :- प्रश्नगत भवन की टेरिस पर टेरिस टैंक **20,000** ली0 क्षमता का मानक के अनुरूप स्थापित है।

3- टेरिस पम्प :- प्रश्नगत भवन के टेरिस टैंक के पास टेरिस पम्प क्षमता **450** एल0पी0एम0 का स्थापित किया गया है, जो एन0बी0सी0 के मानक के अनुरूप है एवं कार्यशील दशा में है।

4-भूमिगत टैंकः- प्रश्नगत भवन में भूमिगत टैंक आवश्यक नहीं है।

5-पम्पः- आवश्यक नहीं है।

6-वेटराइजरः- आवश्यक नहीं है।

7-प्राथमिक अग्निशमन उपकरण (फायर एक्सटिंग्यूशर):- निर्मित भवन में **24** अदद फायर एक्सटिंग्यूसर आई0एस0 2190 के अनुसार प्राविधानित किया गया है जो मानकों के अनुरूप है जिसकी टेस्टिंग व रिफलिंग शुल्क राजकीय कोष में जमा करा दिया गया है।

8-स्वचालित स्प्रिंकलर सिस्टमः- आवश्यक नहीं है।

9- हस्तचालित आपरेटिड इलैक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टमः- मैनुअल आपरेटिड इलैक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम एन0बी0सी0 मानको के अनुसार प्राविधानित आवश्यक नहीं है।

10-ओटोमेटिक डिटेक्शन एण्ड फायर एलार्म सिस्टमः- भवन में ओटोमेटिक डिटेक्शन एण्ड फायर एलार्म सिस्टम एन0बी0सी0 मानका के अनुसार आवश्यक नहीं है।

11- स्मोक एक्सट्रेक्शन सिस्टमः-

ए0 फायर चेकड़ोर, स्मोक चेकडोर की लोकेशन व रेटिंग का विवरण मानकोक के अनुसार है।

बी0 सिस्टम की मैक अप एयर की व्यवस्था मानक के अनुसार है।

सी0 स्मोक एक्स्ट्रेक्शन हेतु मैक अप, स्मोक रिजवायर, स्मोक कर्टेन वाल आदि की व्यवस्था इस प्रकार की गयी है कि अग्नि दुर्घटना की स्थिति में अधिभोगियो के सुरक्षित निकास होनें तक वातावरण सामान्य होगा।

12-प्रेशराईजेशन प्रणाली :- आवश्यक नहीं है।

13-एग्जिट साईनेजः-सम्पूर्ण भवन मे एग्जिट साईनेज स्थापित किये गये है।

14-पी0ए0 सिस्टमः- पी0ए0 सिस्टम की व्यवस्था सम्पूर्ण भवन में स्थापित है।

अतः उपरोक्तानुसार उपलब्ध अग्नि से सुरक्षा व्यवस्थाओं के आधार पर भवन को अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्न शर्तो के अधीन निर्गत किया जाता है :-

1- भवन प्रबन्धक को निर्देशित किया जाता है कि भवन में अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं को सदैव कार्यशील दशा मे बनाऐं रखने हेतु मैन्टीनेन्स सैडयूल बनाया जाये तथा उसी के अनुसार कार्यशील दशा मे रखा जायें।

2-भवन में स्थापित अग्निशमन प्रणाली के संचालन हेतु नियमित प्रशिक्षित स्टॉफ नियुक्त किया जाये।

3-किसी प्रकार का अतिरिक्त निर्माण कार्य कराये जाने से पूर्व अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

4- भवन मे स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं में किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर अविलम्ब पायी गयी त्रुटि का निवारण किया जाय।

5- प्रत्येक छः माह में एक बार भवन मे कार्यरत सुरक्षा कर्मियों को मॉक ड्रिल/फायर ड्रिल कराई जायें तथा इमरजेन्सी इवेक्यूशन प्लान बनाया जाए इसकी जानकारी सुरक्षा कर्मियों को प्रदान कराई जाए।

6- भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं के अनुरक्षण के अभाव मे अथवा लापरवाही के कारण सिस्टम अकार्यशील दशा मे पाये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व प्रबन्धक का होगा तथा निर्गत प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त माना जायेगा।

(अरविन्द कुमार)
संयुक्त निदेशक(बी0/पी0),
उ0प्र0 अग्निशमन मुख्यालय,
लखनऊ।

<u>प्रतिलिपिः-</u>

1- उप निदेशक, फायर सर्विस, कानपुर परिक्षेत्र को उनके पत्रांक - सीएफओ/अ0प्र0पत्र/भवन/2011(18) दिनांक 29.04.2014 के संदर्भ में <u>संलग्न मनचित्र</u> के साथ सूचनार्थ एवं आवयश्क कार्यवाही हेतु प्रेषित।

2- मुख्य अग्निशमन अधिकारी, कानपुरनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

G.D. Goenka Public School Principal Kanpur

For NRI EDUCATION SOCIETY
PRESIDENT